International Journal of Home Science 2022; 8(2): 136-142

ISSN: 2395-7476
IJHS 2022; 8(2): 136-142
© 2022 IJHS
www.homesciencejournal.com
Received: 15-03-2022
Accepted: 19-04-2022

डॉ0 अलका
एसोसिएट प्रोफेसर, गृह विज्ञान विभाग, वैशाली महिला कॉलेज हाजीपुर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, बिहार, भारत

कुमारी रश्मी मिश्रा
शोधार्थी, गृह विज्ञान विभाग, बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, बिहार, भारत

Corresponding Author:
डॉ0 अलका
एसोसिएट प्रोफेसर, गृह विज्ञान विभाग, वैशाली महिला कॉलेज हाजीपुर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, बिहार, भारत

कामकाजी महिलाओं की वैधानिक जागरूकता पर एक अध्ययन (हाजीपुर शहर के संबंध में)

डॉ0 अलका एवं कुमारी रश्मी मिश्रा

सारांश
पिछले दशकों में स्त्रियों का उत्पीड़न रोकने और उन्हें उनके हक दिलाने के बारे में बड़ी संख्या में कानून पारित हुए हैं, लेकिन पुरुष प्रधान मानसिकता के चलते यह संभव नहीं हो सका है। आज हालात ये हैं कि किसी भी कानून का पूरी तरह से पालन होने के स्थान पर ढेर सारे कानूनों का थोड़ा –सा पालन हो रहा है, भारत में महिलाओं की रक्षा हेतु कानूनों की कमी नहीं है। भारतीय संविधान के कई प्रावधान विशेषकर महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। इस बात की जानकारी महिलाओं को अवश्य होना चाहिए। इन्ही बातों को ध्यान में रखते हुए ही वर्तमान अध्ययन –कामकाजी महिलाओं की वैधानिक जागरूकता का अध्ययन (हाजीपुर शहर के संबंध में) किया गया है। इस शोध कार्य के लिए सर्वेक्षणात्मक विधि का प्रयोग किया गया तथा बिहार राज्य के वैशाली जिला के हाजीपुर शहर से आसयाना कॉलोनी, विशुनपुर पलटू, चाणक्य कॉलोनी, शाही कॉलोनी एवं मीठा कुँआ क्षेत्र से 200 कामकाजी महिलाओं (20–40 वर्ष) का चयन यादृच्छिक चयन विधि से किया गया। आंकड़ों के अनुसार केवल 14 प्रतिशत उत्तरदाताओं को ही महिला हेल्प लाईन की जानकारी है, जो कि काफी चिन्ताजनक है।16.5 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं को ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की जानकारी है जबकि शेष महिलाओं को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। केवल 6.5 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं को इसकी जानकारी थी कि महिलाओं की कार्यावधि के लिए भारत सरकार के द्वारा कोई नियम बनाया गया है, शेष 93.5 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। '75.5 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं को शोषण के खिलाफ बनाये गये कानून की जानकारी थी, शेष 24.5 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। 33 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं को हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण इस अधिनियम या इससे संबंधित कानूनी समझ की जानकारी थी, शेष 77 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। हाजीपुर शहर की कामकाजी महिलाएं अभी भी वैधानिक जागरूकता के मामले में बहुत पीछे हैं, अतः महिलाओं की वैधानिक स्थिति का सुदृढ़ बनानें के लिए सरकार के साथ–साथ समाज के हर वर्ग को इस दिशा में गंभीर प्रयास करनें की आवश्यकता है।

कूट शब्दः कामकाजी महिलाएं, वैधानिक जागरूकता, सशक्तिकरण

प्रस्तावनाः–
भारत में, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाली उन सभी राक्षसी सोच को मारना जरुरी है, जैसे– दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, वैश्यावृति, मानव तस्करी और ऐसे ही दूसरे विषय। अपने देश में उच्च स्तर की लैंगिक असमानता है। इस बात में कोई संशय नहीं है कि नारी अपने जीवन में घर के सीमित दायरे के लिए नहीं बनी है। फिर भी नारी को यह भूलना नहीं चाहिए कि घर ही उनका किला और सबसे बड़ा कार्यक्षेत्र है जिसकी कि वे अकेली ऑर्किटेक्ट हैं। नारी के द्वारा घर को घर जैसा बनाने रखने में किया प्रयास महान होता है जिसमें वह अपने बच्चों का पालन–पोषण कर उनका और देश का भविष्य संवारती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनी समानता, अनुच्छेद 15 (3) में जाति, धर्म, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव न करना, अनुच्छेद 16 (1) में लोक सेवाओं में बिना भेदभाव के अवसर की समानता, अनुच्छेद 19 (1) में समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में स्त्री एवं पुरुष दोनों को प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता से वंचित न करना, अनुच्छेद 23–24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार समान रूप से प्राप्त, अनुच्छेद 25–28 में धार्मिक स्वतंत्रता दोनो को समान रूप से प्रदत्त, अनुच्छेद 29–30 में शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 39 (घ) में पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, अनुच्छेद 40 में पंचायती राज्य संस्थाओं में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था, अनुच्छेद 41 में बेकारी,

बुढ़ापा, बीमारी और अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में सहायता पाने का अधिकार, अनुच्छेद 42 में महिलाओं हेतु प्रसूति सहायता प्राप्ति की व्यवस्था, अनुच्छेद 47 में पोषाहार, जीवन स्तर एवं लोक स्वास्थ्य में सुधार करना सरकार का दायित्व है, अनुच्छेद 51 (क) (ड) में भारत के सभी लोग ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों, अनुच्छेद 33 (क) में प्रस्तावित 84वें संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था, अनुच्छेद 332 (क) में प्रस्तावित 84वें संविधान संशोधन के जरिए राज्यों की विधानसभाओं मे महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। पिछले दशकों में स्त्रियों का उत्पीड़न रोकने और उन्हें उनके हक दिलाने के बारे में बड़ी संख्या में कानून पारित हुए हैं। अगर इतने कानूनों का सचमुच पालन होता तो भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव और अत्याचार अब तक खत्म हो जाना था । लेकिन पुरुष प्रधान मानसिकता के चलते यह संभव नहीं हो सका है।

उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अध्ययन किया गया है, क्योंकि कामकाजी महिलाओं को उनको मिलनें वाले वैधानिक अधिकारों के बारे में पता ही नहीं होता है, कई अध्ययनों से यह पता चला है कि कामकाजी महिलाएं जो आर्थिक स्वावलंबन में अपनें परिवार का सहयोग करती हैं तथा घर के बाहर की सामाजिक दुनिया से संपर्क में रहती है उनको भी अपनें संबैधानिक अधिकारों के बारे विशेष जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से उनकी वैधानिक स्थिति काफी खराब पाई गयी, पुरूष प्रधान समाज में वो किसी न किसी रूप में शोषित होती रहती हैं। अतः हाजीपुर शहर की कामकाजी महिलाओं की वैधानिक जागरूकता का पता लगानें के लिए यह अध्ययन किया गया है।

शोध प्रकियाः–

इस शोध कार्य के लिए सर्वेक्षणात्मक विधि का प्रयोग किया गया तथा बिहार राज्य के वैशाली जिला के हाजीपुर शहर से आसयाना कॉलोनी, विशुनपुर पलटू, चाणक्य कॉलोनी, शाही कॉलोनी एवं मीठा कुँआ क्षेत्र का चयन इस शोध कार्य के लिए किया गया है। इन क्षेत्रों में लगभग हर वर्ग, समुदाय एवं सम्प्रदाय के लोग निवास करते हैं, जो कि इस शोध कार्य के लिए उचित स्थान हैं। इन क्षेत्रों से कुल 200 कामकाजी महिलाओं (20–40 वर्ष) का चयन यादृच्छिक चयन विधि से किया गया। आंकड़ों का संग्रह करने के जिए शोध विषय से सम्बन्धित प्रश्नों की एक अनुसूची तैयार की गयी, तथा जिसका उत्तर साक्षात्कार, एवं अवलोकन/निरीक्षण विधि के माध्यम से कामकाजी महिलाओं से संकलित किया गया। प्रतिशतता का प्रयोग करते हुए ग्राफों के द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है।

परिणाम एवं विचार विमर्शः

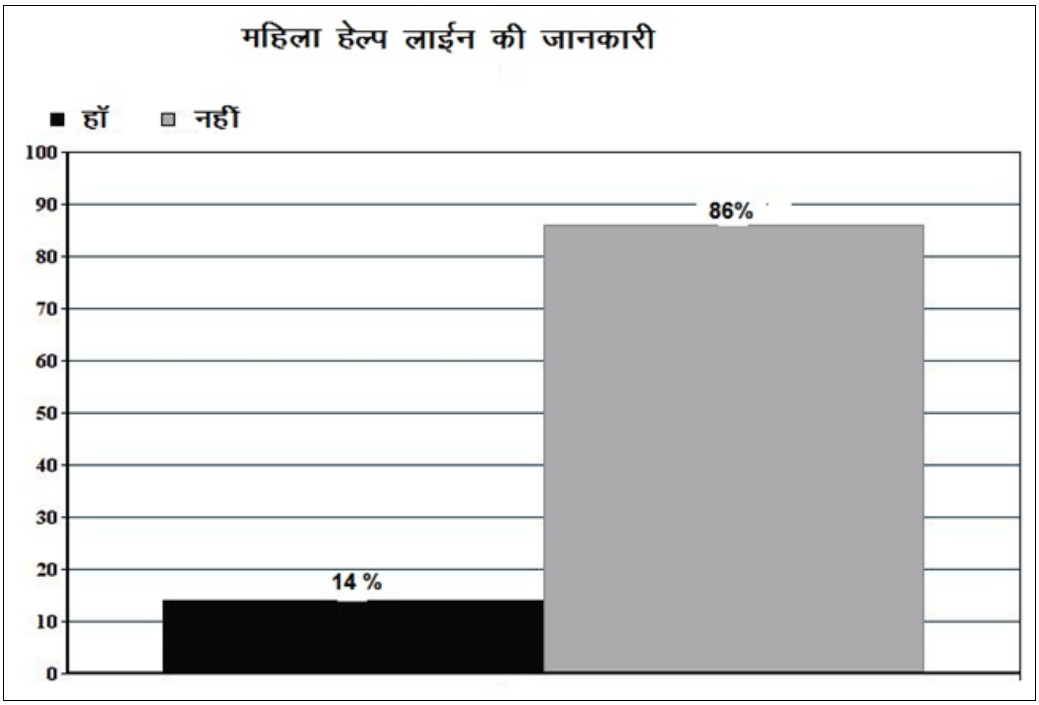

ग्राफ 1: कामकाजी महिलाओं की महिला हेल्प लाईन नंबर की जानकारी से संबंधित आंकड़ों को प्रदर्शित कर रहा है। आंकड़ों के अनुसार केवल 14 प्रतिशत उत्तरदाताओं को ही महिला हेल्प लाईन की जानकारी है, जो कि काफी चिन्ताजनक है। वुमंस हेल्पलाइन नंबर 1091/1090 पूरे देश के लिए है। इसके अलावा महिलाएं नेशनल कमिशन फॉर वुमन (छॅब) में अपनी कोई बात रखना चाहें तो वे 0111–23219750 पर कॉल कर सकती हैं। राज्यों ने अपने स्तर पर भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। जिन पर कॉल करके तुरंत मदद पाई जा सकती है।

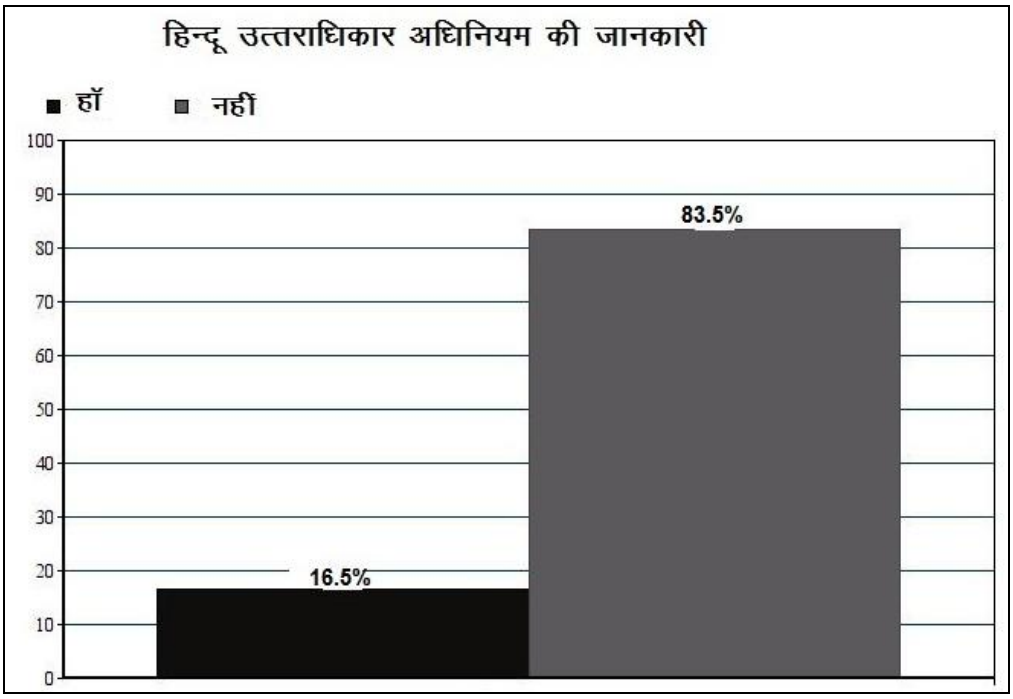

ग्राफ–2: हाजीपुर शहर की कामकाजी महिलाओं की हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की जानकारी से संबंधित आंकड़ों को प्रदर्शित कर रहा है। आंकड़ों के अनुसार केवल 16.5 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं को ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की जानकारी है जबकि शेष महिलाओं को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। वर्ष 2005 के संशोधन अधिनियम द्वारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 23 को भी निरस्त कर दिया गया है, जिससे संयुक्त परिवार के पुरुष सहदायक द्वारा पूरी तरह से कब्जा किए गए आवास गृह में भी पुत्रियों को विभाजन की मांग करने का समान अधिकार/मान्यता प्रदान की गयी है।

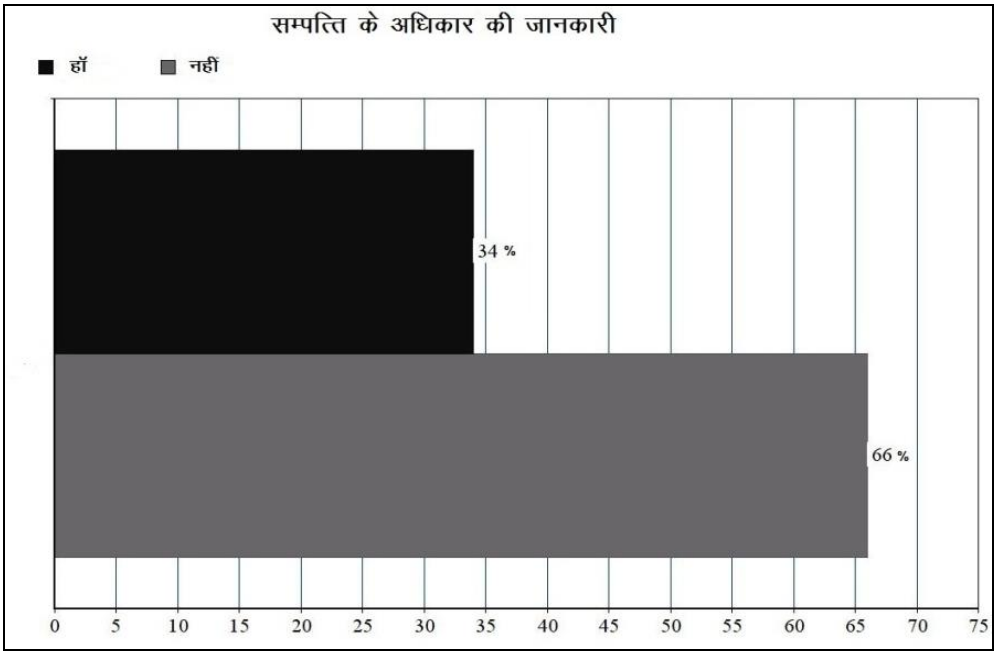

ग्राफ–3: हाजीपुर शहर की कामकाजी महिलाओं की सम्पत्ति के अधिकार की जानकारी से संबंधित आंकड़ों को प्रदर्शित कर रहा है। आंकड़ों के अनुसार 34 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं को सम्पत्ति के अधिकार की जानकारी थी जबकि शेष (66 प्रतिशत) महिलाओं को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। हिंदू महिला संपत्ति का अधिकार अधिनियम, 1937 महिलाओं को बेहतर अधिकार देने के लिए परिवर्तन लाने वाले सबसे महत्वपूर्ण अधिनियमों में से एक है, 2005 के संशोधन ने लैंगिक समानता के संवैधानिक विश्वास के साथ संरेखित करने के लिए अधिनियम की धारा 6 में संशोधन किया गया और कहा गया कि बेटी जन्म से ही बेटे की तरह अपने आप में एक सहदायिक मानी जाये जाएगी।

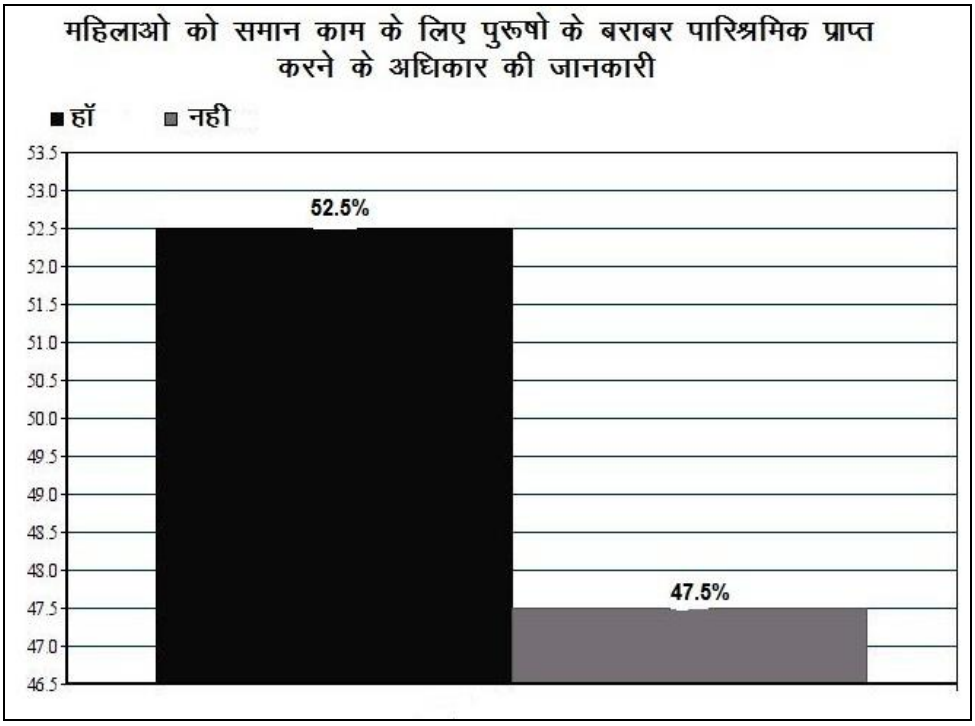

ग्राफ–4: हाजीपुर शहर की कामकाजी महिलाओं की समान काम समान वेतन संबंधी कानून की जानकारी से संबंधित आंकड़ों को प्रदर्शित कर रहा है। आंकड़ों के अनुसार आधे से अधिक (52.5 प्रतिशत) कामकाजी महिलाओं को इसकी जानकारी थी जबकि 47.5 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी।

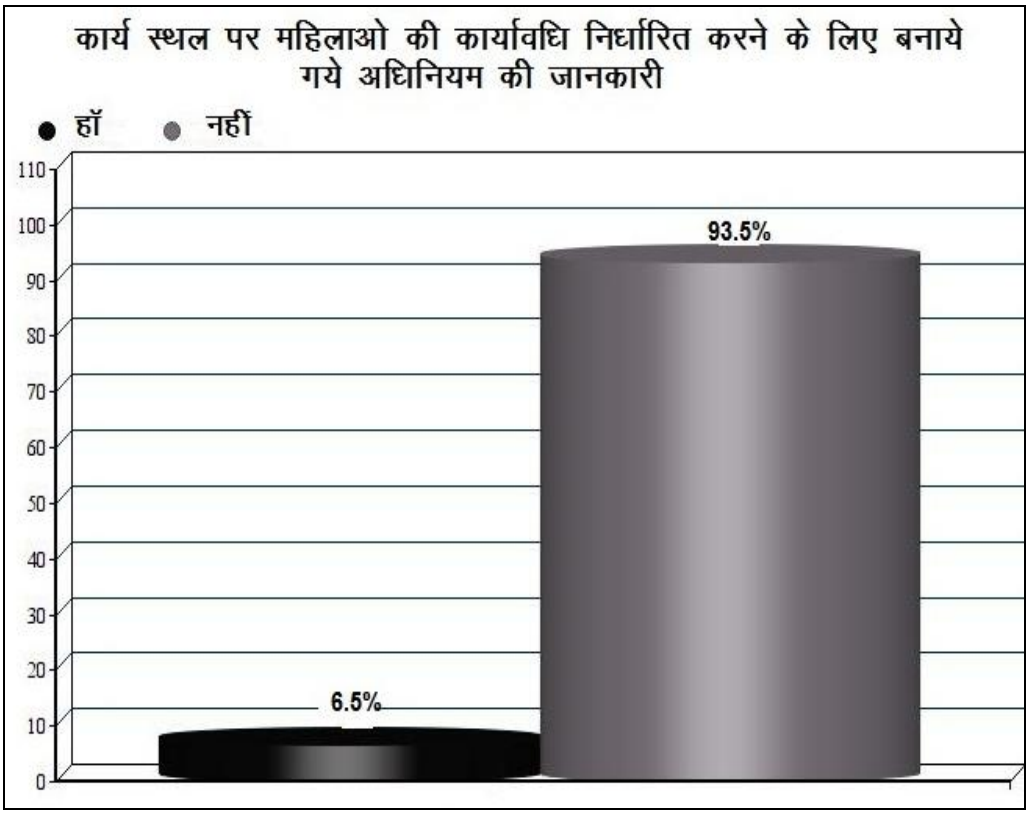

ग्राफ–5: हाजीपुर शहर की कामकाजी महिलाओं की कार्यस्थल पर कार्यावधि निर्धारित करने वाले संबंधी कानून की जानकारी से संबंधित आंकड़ों को प्रदर्शित कर रहा है। आंकड़ों के अनुसार केवल 6.5 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं को इसकी जानकारी थी कि महिलाओं की कार्यावधि के लिए भारत सरकार के द्वारा कोई नियम बनाया गया है, शेष 93.5 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। 'ठेका श्रम अधिनियम' 1970 द्वारा यह प्रावधान रखा गया है कि महिलाओं से एक दिन में अधिकतम 9 घंटे में ही कार्य लिया जाए।

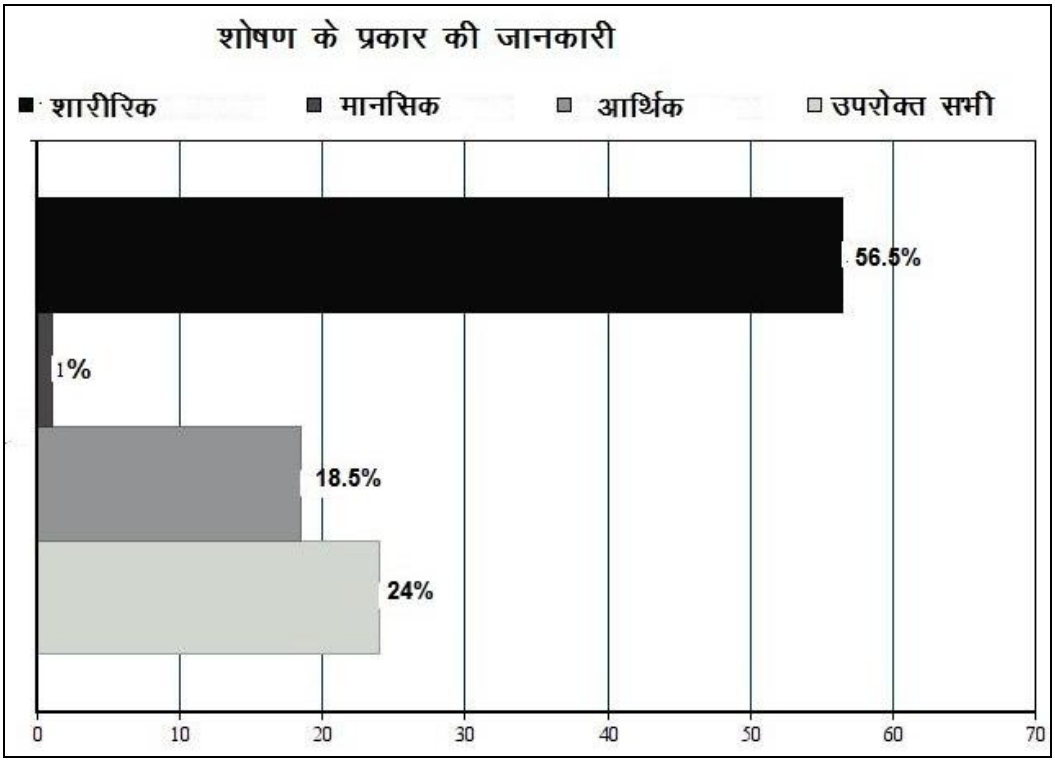

ग्राफ–6: हाजीपुर शहर की कामकाजी महिलाओं की शोषण के प्रकार की जानकारी से संबंधित आंकड़ों को प्रदर्शित कर रहा है। आंकड़ों के अनुसार केवल 24 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं का मानना था कि शोषण शारीरिक, मानसिक अथवा आर्थिक तीनों प्रकार का हो सकता है। 18.5 प्रतिशत कामकाजी महिलाएं शोषण को केवल आर्थिक शोषण समझ रही थी, आधे से अधिक 56.5 प्रतिशत उत्तरदाता शोषण का मतलब केवल शारीरिक शोषण ही समझ रही थी, उनको मानसिक अथवा आर्थिक शोषण के बारे विशेष नहीं पता था।

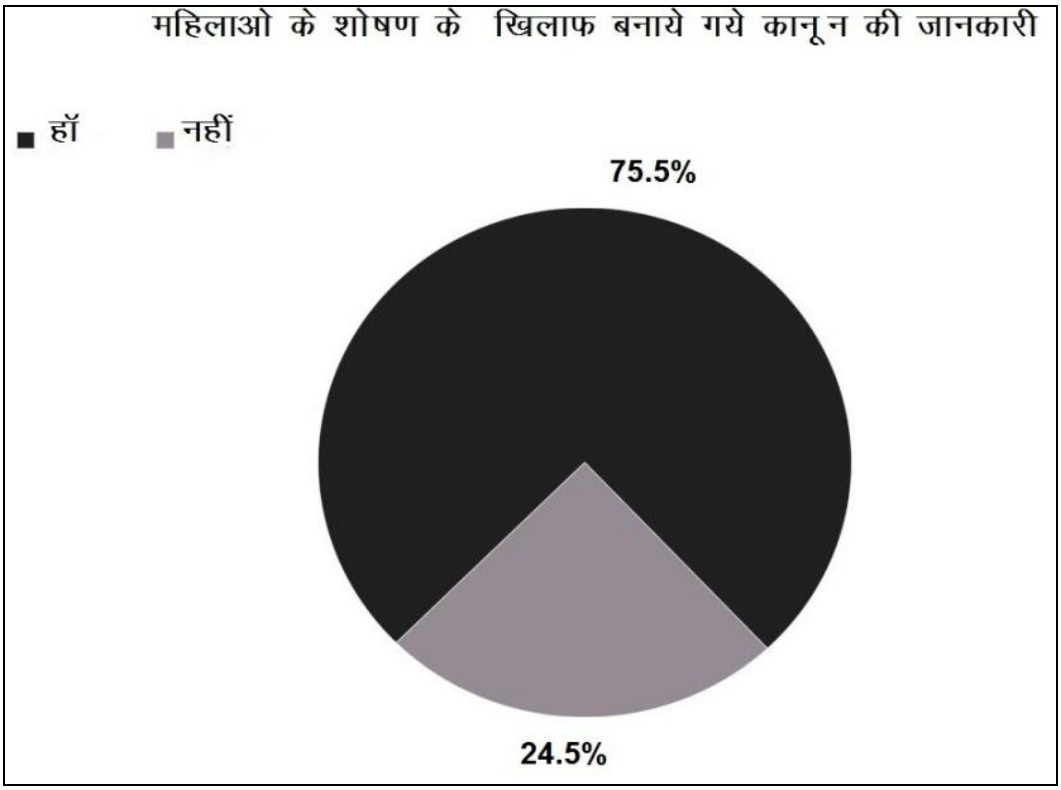

ग्राफ–7: हाजीपुर शहर की कामकाजी महिलाओं की महिलाओं के शोषण से संबंधी कानून की जानकारी से संबंधित आंकड़ों को प्रदर्शित कर रहा है। आंकड़ों के अनुसार 75.5 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं को शोषण के खिलाफ बनाये गये कानून की जानकारी थी, शेष 24.5 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी।

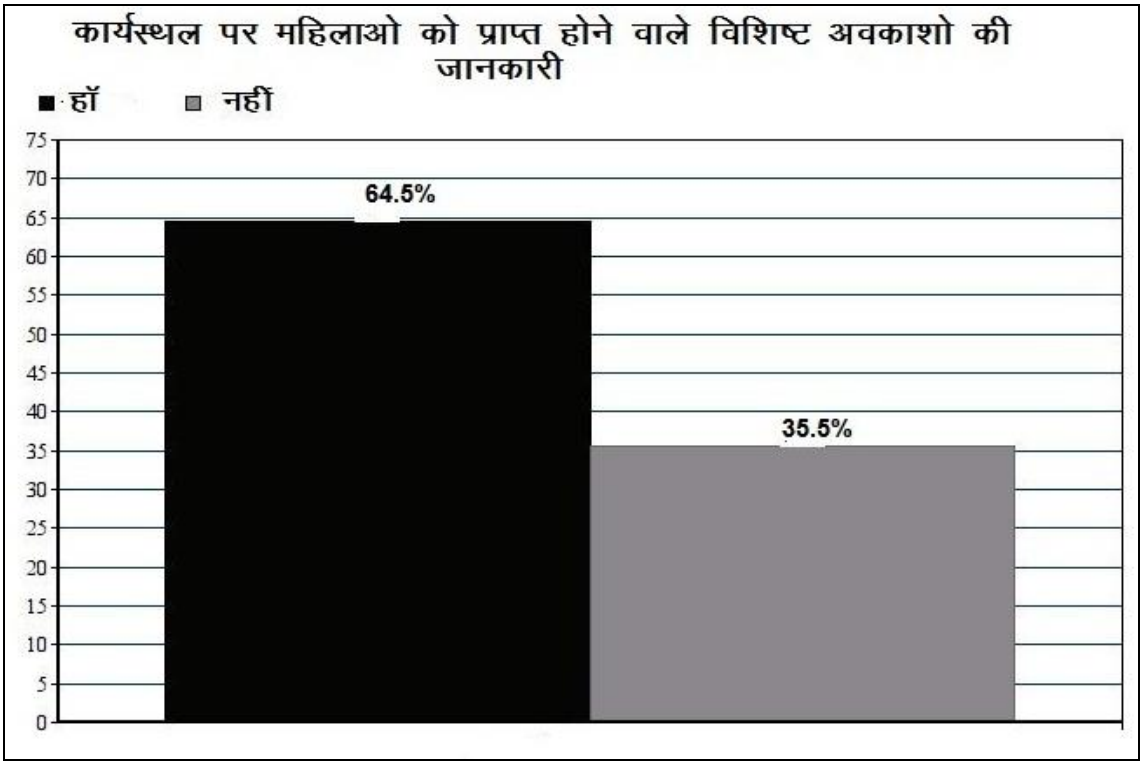

ग्राफ–8: हाजीपुर शहर की कामकाजी महिलाओं की कार्यस्थल पर महिलाओं को प्राप्त होने वाले विशिष्ट अवकाशों की जानकारी से संबंधित आंकड़ों को प्रदर्शित कर रहा है। आंकड़ों के अनुसार 64.5 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं को प्राप्त होनें वाले विशिष्ट अवकाशों की जानकारी थी, शेष 35.5 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी।

मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 मातृत्व लाभ अधिनियम (1961) में संशोधन पारित किया गया है। यह अधिनियम संविदात्मक या सलाहकार महिला कर्मचारियों के साथ–साथ उन महिलाओं पर भी लागू होता है जो संशोधन अधिनियम के प्रवर्तन के समय पहले से ही मातृत्व अवकाश पर हैं। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम ने महिला कर्मचारियों के लिए (जिनके दो से कम जीवित बच्चे हो) उपलब्ध सवैतनिक मातृत्व अवकाश की अवधि को मौजूदा 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया है। इसके अंतर्गत महिलाओं को घर से काम करने की सुविधा भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा बिहार सहित कई राज्य सरकारों ने कामकाजी महिलाओं को महीनें में 2 दिन का विशेष अवकाश प्रदान किया है जिसका उपयोग महिलाये अपनें माहवारी के दौरान करती है।

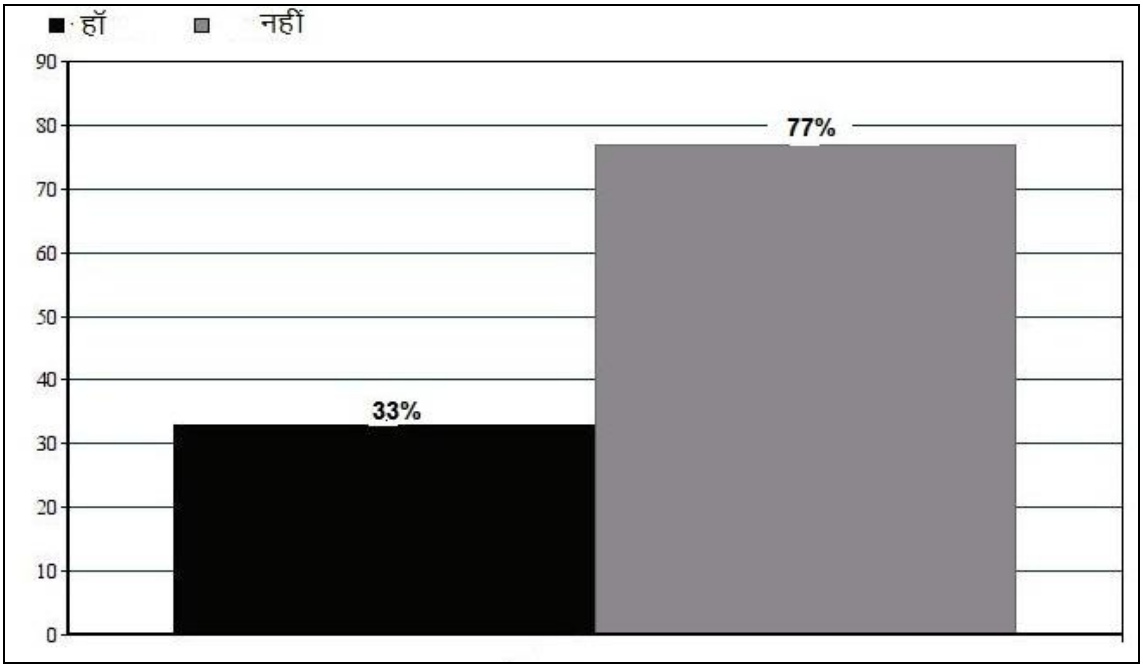

ग्राफ–8: हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण की जानकारी

हिंदू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 के अंतर्गत हिंदू पत्नी, चाहे वह इस अधिनियम के पूर्व या पश्चात् विवाहित हो, अपने जीवनकाल में अपने पति से भरणपोषण पाने की हकदार होगी । हिंदू पत्नी अपने भरणपोषण के दावे को समपहृत किए बिना अपने पति से पृथक् रहने के लिए हकदार होगी।
धारा 19 के अंतर्गत कोई हिंदू पत्नी, अपने ससुर से भरणपोषण प्राप्त करने की हकदार होगी, परंतु यह जब तक कि वह स्वयं अपने अर्जन से या अन्य संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में

असमर्थ हो या उस दशा में जहां उसके पास अपनी कोई भी सम्पत्ति नहीं है। आंकड़ों के अनुसार 33 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं को इस अधिनियम या इससे संबंधित कानूनी समझ की जानकारी थी, शेष 77 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी (ग्राफ–9)।

निष्कर्षः–

हाजीपुर शहर की कामकाजी महिलाएं अभी भी वैधानिक जागरूकता के मामले में बहुत पीछे हैं। इनमें उनके अधिकारो एवं सशक्तिकरण जैसी मानसिकता जागृत करने की आवश्यकता है। महिला हेल्प लाईन, हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम, सम्पत्ति के अधिकार, कार्यावधि की सीमा निर्धारित करनें वाले कानून की जानकारी, इत्यादि के बारे में वैधानिक जागरूकता का सर्वथा अभाव पाया गया हालांकि कई क्षेत्रों जैसे – दहेज प्रथा की रोकथाम, बाल विवाह, कार्यस्थल पर प्राप्त होने वाले विशिष्ट अवकाशों, महिलाओं के शोषण के खिलाफ बनाये गये कानून की जानकारी, तथा समान काम समान वेतन जैसे मुद्दों पर इनकी वैधानिक जागरूकता को सशक्त कही जा सकती है। महिलाएं की वैधानिक स्थिति तभी अच्छी होगी जब वे अपनें वैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो, अतः महिलाओं की वैधानिक स्थिति का सुदृढ़ बनानें के लिए सरकार के साथ–साथ समाज के हर वर्ग को इस दिशा में गंभीर प्रयास करनें की आवश्यकता है।

सुझाव

- महिलाओं की वैधानिक जागरूकता के लिए यह आवश्यक है कि महिलाएं अपनें अधिकार को समझे अतः सरकार को महिलाओं के वैधानिक अधिकारों के संबंध में आवश्यक प्रचार प्रसार करनें की आवश्यकता है।
- हमारी सरकार महिलाओं के सामाजिक उत्थान में सहभागिता हेतू विभिन्न प्रान्तीय एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा महिलाओं के रोजगार एवं सुरक्षा में सुधार हेतू कार्यरत है, लेकिन इन संस्थाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं होनें की वजह से अधिकांश महिलाएं इसका फायदा नहीं उठा पाती। अतः संस्थाओं को यह कोशिश करनी चाहिए कि चलाए जा रहे प्रोग्राम हर महिलाओं तक पहुँच सके।

शोध ग्रंथो की सूचीः

1. एन. एम. मैथ्यु (1956), स्टेटस आफ वूमेन हेल्थ।
2. मानसिक तनाव और अनिद्रा, हरिओम गुप्ता, डायमंड पॉकेट बुक्स, आई.एस.बी.एन–81–288–1456–7, पुस्तक क्रम–5176
3. सिंह वी एन 2010 'आधुनिकाता एवं महिला सशक्तिकरण' रावत पब्लिकेशन्स जयपूर।
4. प्रमिला वर्मा, (1999), मानव विकास, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना।
5. रमोला वर्मा (2001), दिल्ली की कामकाजी महिलाएँ, सूर्या प्रकाशन, दिल्ली।
6. श्रीमति रानी छाबरा, (2005), भारत के महिला आन्दोलन के एक सक्रिय सदस्या।
7. शर्मा अनुपम तथा वार्षणेय संगीता(2013) इक्कीस्वी शताब्दी में महिला समस्याएं एवं सुभावनाए ' अल्फा पब्लिकेशन नई दिल्ली।
8. सी.डी. सिंह, (2000), नागौर में महिलाओं का अध्ययन, हिन्दी साहित्य अकादमी, जयपुर, राजस्थान।
9. डॉ. प्रमिला कपूर, कामकाजी भारतीय नारी, राजपाल एंड संस, दिल्ली।
10. वीण दास (1990), भारत में बालिका कॉन्सेप्ट, पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली।